राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)

संविदा ए.एन.एम. के रिक्त पदों की

पूर्ति हेतु

नियम पुस्तिका

(2019–20)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के अतंर्गत निम्न संविदा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित है।

1. पद का विवरणः–

क्र	पद	पद संख्या
1.	ए.एन.एम. (संविदा)	2019

2. चयन प्रकिया–

उपरोक्त पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार हैः–

क्र	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
1	ए.एन.एम. (संविदा)	2019	12,000 रुपये प्रतिमाह	• उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण / हायर सेकेण्डरी (10+2) शिक्षा पद्धति में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। • शासकीय / अशासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों से ए.एन.एम. का निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण उत्तीर्ण (न्यूनतम)। • महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) जीवित पंजीयन होना चाहिये।	21–40 वर्ष अधिकतम् आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति , अन्य पिछडा वर्ग (अनारक्षित / आरक्षित) के लिए अधिकतम् आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01 / 08 / 2019 की स्थिति मे)

3. संविदा पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगाः–

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित (37%)		अनुसूचित जनजाति (20%)	अनुसूचित जाति (16%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)	कॉलम क्र 4,5,6,7 एवं 8 का योग
			सामान्य	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ए.एन.एम. (संविदा)	2019	673	75	403	323	545	2019

4. आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजो को अपलोड करना होगा। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
   - शासकीय/अशासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों से ए.एन.एम. का निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण उत्तीर्ण ।
   - हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
   - निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
   - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण–पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)।
   - मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाणपत्र।
   - महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) जीवित पंजीयन होना चाहिये।
5. आवेदक अपना मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई. डी. की सटीक जानकारी आवेदन पत्र में अंकित करें। आवेदकों को सूचना न मिलने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिम्मेदार नही होगा।
6. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
7. अभ्यर्थियों को ऑनलाईन परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।
8. वरीयता निर्धारिण हेतु दशमलव के 2 अंको तक विवेचना में लिया जावेगा।
9. लिखित परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यार्थियो द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त की जाने की स्थिति में वरीयता का क्रम निम्नानुसार होगाः–
   क–अधिक उम्र वाले अभ्यार्थियों को कम उम्र वाले अभ्यार्थियों पर प्राथमिकता।
   ख–एक ही जन्मतिथि/उम्र के अभ्यार्थी होने पर, अनिवार्य ए.एन.एम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक वाले अभ्यार्थी को प्राथमिकता।
10. ऑनलाईन परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जावेगी।
11. दावा आपत्ति परीक्षा उपरांत एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार की जावेगी।
12. चयन उपरांत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के मानव संसाधन मैनुअल के अनुसार नियुक्ति कार्यवाही/अनुबंध किया जायेगा।
13. आवश्यक अर्हता धारण करना अथवा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना चयन की गारंटी नहीं होगा। नियुक्ति के पूर्व मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा जिसके सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी की पदस्थापना की जावेगी।
14. मिशन आवश्यकतानुसार पदों की संख्या मे परिर्वतन कर सकेगा।
15. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को/संपूर्ण प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।
16. रिक्तियों को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से मेरिट सूची के प्रकाशन के उपरांत पदस्थापना प्रदान करने हेतु रिक्तियों की सूची अपलोड की जावेगी।
17. परीक्षा केन्द्र आवश्यकतानुसार घटाये/बढ़ाये जा सकते हैं।
18. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केन्द्र से जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।

19. उक्त पद मैदानी कार्यकर्ता का होता है इस कारण निःशक्तजनों द्वारा संभव नहीं है। अतएव इस पद को निःशक्तजन की नियुक्ति के लिये जनहित में चिन्हित नही किया गया है।
20. विभाग द्वारा द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गये पाठ्यक्रम के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी।
21. चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा।
22. अभ्यार्थी में गर्भधारण होने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमाक सी 3–10/2016/1/3 दिनांक 1/11/2016 के तारतम्य में अस्थायी मेडिकल अनफिट रहेंगे।
23. अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमाक सी 3–8/2016/1/3 दिनांक 04/जुलाई/2019 द्वारा एवं समय–समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेंगे।
24. कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध अपराधिक मामला न्यायालय मे विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, अनर्ह होगा (पात्र नही होगा)।

कार्य दायित्व

- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर गर्भवती महिला की सम्पूर्ण जांच (हिमोग्लोबिन, पेशाब, बी. पी. तथा अन्य आवश्यक जांच करना)।
- एम.सी.पी. कार्ड में प्रविष्टि करना तथा गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के संबंध में आवश्यक जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, काल सेंटर आदि की जानकारी प्रदान करना।
- आर.सी.एच. पोर्टल में पंजीयन एवं अद्यतन फार्म में गर्भवती महिलाओं के विषय में आवश्यक जानकारी भरकर ए.वी.डी. के माध्यम से कोल्ड चैन फोकल पाईंट पर उपलब्ध कराना।
- उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर संधारित पंजी को अद्यतन करना।
- खतरे के लक्षण जैसे गंभीर खून की कमी, उच्च रक्तचाप, खून आना, उल्टा/आड़ा/जुड़वा गर्भ आदि पाये जाने पर तुरंत क्रियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।
- सामान्य हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के ऊपर) आई.एफ.ए. की बड़ी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आई.एफ.ए. की दो बड़ी गोली के सेवन हेतु सलाह देना।
- सुदूर गांव की जटिल गर्भावस्था वाली महिला को प्रसव की संभावित तिथि के एक सप्ताह पूर्व क्रियाशील सीमॉक में भर्ती करना जिससे समय पर उचित प्रबंधन किया जा सके।
- गर्भवती महिला की तृतीय अथवा चतुर्थ प्रसवपूर्व जांच चिकित्सक द्वारा करने की व्यवस्था करना।
- गंभीर एनेमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं हेतु पृथक से पंजी संधारित कर ट्रेकिंग सुनिश्चित करना।
- सभी शिशुओं एवं बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना।
- एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज नवजात शिशुओं के सामुदायिक फॉलोअप (पहले दिन, तीसरे दिन, सातवें दिन, चौदहवें दिन, इक्कीसवें दिन, अठ्ठाईसवें दिन) हेतु आशा को प्रेरित करना एवं मॉनिटरिंग करना।
- दस्त रोग में ओ.आर.एस. एवं जिंक को बढ़ावा देना।
- गंभीर नवजात शिशुओं को एस.एन.सी.यू. में जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।
- समुदाय स्तर से होने वाली शिशु/मातृ मृत्यु को तत्काल जिला स्तर पर रिपोर्ट करना।
- प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण एवं जन्म उपरांत बच्चे की आर.सी.एच. पोर्टल के माध्यम से ट्रेकिंग करना।
- गर्भावस्था के दौरान माँ को उचित पोषण की सलाह देना एवं एफ.आई.एफ.ए. गोलियों का सेवन सुनिश्चित करना।
- समस्त धात्री माताओं को 6 माह तक अनन्य स्तनपान कराने की सलाह देना।
- राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी अनुसार समस्त बच्चों का शत–प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करना।
- ग्राम के समस्त अति कम वजन एवं गंभीर कुपोषित बच्चों की नामबद्ध सूची आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा से प्राप्त कर रिकार्ड संधारित करना।
- सूचीबद्ध बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दौरान विशेष ध्यान देना।
- ऐसे बच्चों में कान बहना, गले में खराश, सर्दी–जुखाम, बुखार, चर्म रोग जैसे– फोड़े–फुन्सी आदि की शिकायत प्रायः पायी जाती है, जिसका तुरंत यथोचित उपचार सुनिश्चित करना, ताकि यह बच्चे कुपोषण–बीमारी–कुपोषण कि कु–चक्र से बाहर आ सके।

- बल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त 6–60 माह के बच्चों को वर्ष में एक बार आई.एफ.ए. सीरप की 100 एम.एल. की एक बोतल कृमिनाशन हेतु एल्बेंडाजोल सीरप प्रदायित करना।
- गंभीर एनीमिया से ग्रस्त बच्चे को उचित उपचार/रक्ताधान हेतु रेफर करना।
- बाल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु आवश्यक आई.एफ.ए. सीरप की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बाल सुरक्षा माह के दौरान वर्ष में दो बार समस्त 9 माह से 5 वर्षीय बच्चों को विटामिन ए का अनुपूरण करना।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर किशोरी बालिकाओं को दी जाने वाली आरयन की बड़ी गोलर तथा एल्बेन्डाजोल की गोली आंगनवाड़ी केन्द्रों पर नियमित रूप से उपलब्ध करायेगी तथा आवश्यक होने पर किशोरी बालिकाओं की हिमोग्लोबिन परीक्षण कर गंभीर खून की कमी होने (8 ग्राम से कम–National Iron+Initiative) पर स्वास्थ्य संस्था को रैफर करेगी। रिपोर्ट संकलित कर खण्ड चिकित्सा अधिकारी को मासिक रूप से जमा करायेगी। 10 एवं 16 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को टिटनेस टॉक्साईड के टीके लगायेंगी।
- सबसेन्टर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों और मजरे की सूची तैयार करें।
- वास्तविक जनसंख्या, लाभार्थियों की पहचान एवं वार्षिक एवं मासिक लक्ष्य निर्धारण हेतु CAN सर्वे माह अप्रैल मे कर प्रतिमाह नए जन्में शिशु एवं गर्भवती महिला की नामावली, एम.सी.टी. एस. फार्म में अंकित कर अपडेट करना।
- लाभार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु मासिक टीकों एवं विटामिन ए की गणना करना।
- गांवो एवं मंजरे में सत्रों का आयोजन इन्जेक्शन लोड अनुसार निर्धारण यथा 25–50 इंजेक्शन 1 सत्र प्रतिमाह, 50 से अधिक इंजेक्शन माह में दो बार सत्र लगायें एवं 25 इंजेक्शन से कम 1 सत्र प्रति 2 माह में तथा दुर्गम क्षेत्रों में वर्ष में न्यूनतम 4 सत्र लगायें।
- वैक्सीन वाहन हेतु रूट चार्ट दूरी समय एवं कार्यदिवस बनाकर देना।
- आई.यू.सी.डी. निवेशन में दक्ष ए.एन.एम. सप्ताह में दो दिवस आई.यू.सी.डी. निवेशन हेतु निर्धारित करेंगी जो मंगलवार और शुक्रवार होंगे।
- आरोग्य केन्द्र पर प्रत्येक गर्भवती माता को उनकी सेवा आवश्यकता के अनुसार प्रसव तुरंत पश्चात् (पी.पी.आई.यू.सी.डी.) लगवाने हेतु प्रेरित करेंगे।
- स्थायी और अस्थायी साधन के सेवा आवश्यकता की पूर्ति में आशा कार्यकर्ता सहयोग एवं समन्वय करेंगे।
- प्रेग्नेंसी टेस्ट किट आशा को उनके लक्ष्य दंपत्ति अनुसार एवं कार्य की प्रगति के अनुसार प्रदाय करना एवं उसके उपयोग के बारे में बताना।
- प्रेग्नेंसी टेस्ट किट से संबंधित जानकारी भारत सरकार द्वारा चाहे गये निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह सुपरवाईजर एवं सेक्टर मेडिकल ऑफिसर को प्रस्तुत करना।
- भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र में पेरिटीवाइज़ (जीवित बच्चों की संख्या अनुसार) स्थायी प्रेरित की जानकारी तैयार करने हेतु आशा के साथ समन्वय।
- उपस्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालय पर सेवा प्रदान करने के समय ए.एन.एम. एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता को चलित अस्पताल के स्टॉफ के साथ समन्वय स्थापित कर सेवा प्रदाय की जाना होगी।
- सेवा प्रदायगी पंजी में ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू के हस्ताक्षर भी कराना होंगे।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन प्रदाय सेवाओं का प्रमाणीकरण ए.एन.एम. के द्वारा कराया जाना चाहिये।

- ➢ डिलेवरी पाईट्स में पदस्थ एएनएम द्वारा एसबीए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, जिससे वह प्रसव के समय होने वाली जटिलताओं का चिन्हांकन तथा प्रबंधन कर सके तथा आवश्यक होने पर उच्च संस्था पर रेफर कर सके।
- ➢ प्रत्येक गर्भवती महिला को डिस्चार्ज के समय न्यूनतम 100 गोली आई.एफ.ए की प्रदान की जाए तथा आवश्यक समझाईश दी जाए। प्रसवोपरान्त 1,3,7, 42 दिवस पर एएनएम तथा आशा द्वारा गृह भेंट कर प्रसवोत्तर जॉच सुनिश्चित की जाए एवं नवजात शिशु की देखभाल परिवार कल्याण सेवाओं के विषय में जानकारी दी जाए।
- ➢ प्रसव के समय आवश्यक नवजात शिशु देखभाल सेवाऐं उपलब्ध करायेगें।

के.एम.सी.वार्ड में पदस्थ एएनएम के दायित्व :–

- ➢ के.एम.सी.वार्ड का संचालन ।
- ➢ मदर्स वार्ड में भर्ती माताओं एवं शिशुओं की देखभाल।
- ➢ फालोअप ओपीडी में सहायता।

आर.बी.एस.के. टीम में पदस्थ एएनएम के दायित्व :–

- महिला उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का पद मैदानी कार्यकर्ता का है। इनका मुख्यालय उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर रहता है। इनके द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों का नियमित रूप से सतत् भ्रमण करते हुये सेक्टर पर कार्यरत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग हेतु नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध कराना तथा निर्धारित समय सारणी अनुसार विभिन्न स्तर पर आयोजित बैठकों में उपस्थित होकर जानकारी उपलब्ध कराना होता है।
- **स्क्रीनिंगः–** स्क्रीनिंग किये गये कुल बच्चों की संख्या प्रतिदिन 100 प्रति मोबाईल हेल्थ टीम। (2200/माह प्रति दल) वार्षिक (26400 प्रति दल) सुनिश्चित करना।
- **दस्तावेजीकरणः–** (प्रति दिन दवा वितरण, मांग पत्र एवं प्रदाय दवाओं का लेखा–जोखा संधारण एवं रिपोर्टिंग) माइक्रोप्लानिंग, रजिस्टर प्रारूप, जांच साधन सह रेफरल कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्क्रीनिंग में 10 प्रतिशत धनात्मक पाये गये बच्चों की संख्या। (220/प्रतिमाह) वार्षिक (2640 प्रति दल) के साथ–साथ स्वयं के द्वारा या विकासखण्ड स्तर पर उपचारित कराये गये बच्चों की संख्या (180/प्रति माह प्रति दल) वार्षिक (2160 प्रति दल) सुनिश्चित करना।
- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा जिला स्तर पर उपचारित कराये/रिफर किये गये बच्चों की संख्या (10 प्रति माह), वार्षिक न्यूनतम 120 बच्चे प्रति दल के साथ–साथ जिले से बाहर उपचार हेतु रिफर किये गये बच्चों की संख्या। (03 प्रति माह प्रति दल) वार्षिक न्यूनतम 36 प्रति दल सुनिश्चित करना।
- मोबाइल हेल्थ टीम (ए.एन.एम.) द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच (40 प्रति माह प्रति दल) वार्षिक न्यूनतम 480 प्रति दल के साथ–साथ एनआरसी में भर्ती हेतु भेजे गये बच्चों की संख्या।(05 प्रति माह प्रति दल) वार्षिक न्यूनतम 60 प्रति दल सुनिश्चित करना।

- न्यूनतम 20 प्रसव प्रतिमाह सी.एच.सी., सीमॉक पर तथा न्यूनतम 10 प्रसव प्रतिमाह सी.एच.सी. एंव पी.एच.सी. बीमॉक पर।
- गर्भवती महिला की तृतीय अथवा चतुर्थ प्रसवपूर्व जॉच चिकित्सक द्वारा करने की व्यवस्था करना।
- गंभीर एनीमिया से पीडित गर्भवती महिलाओं हेतु पृथक से पंजी संधारित कर ट्रेंकिग सुनिश्चित करना।
- न्यूनतम सर्विस गारण्टी के अनुसार सेवाऐं प्रदान करना।
- खतरे के लक्षण जैसे गंभीर खून की कमी, उच्च रक्तचाप,उल्टा/आडा/जुड़वा गर्भ आदि पाये जाने वाले तुरन्त महिला का उचित उपचार करना तथा सुविधा उपलब्धता न होने की स्थिति में पाये जाने पर तुरन्त महिला का उचित उपचार करना तथा सुविधा उपलब्धता ना होने की स्थिति में कियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।
- सामान्य हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के उपर) आई.एफ.ए. की बडी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आई.एफ.ए. की दो बडी गोली के सेवन हेतु सलाह देना। गंभीर रक्ताल्पता से पीड़ित महिलाओं की ब्लड ट्रांसफ्यूजन/इंजेक्शन आयरन सुकोज/ इन्ट्राम्सकूलर आयरन के माध्यम से प्रबंधन करने हेतु कियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना तथा इस हेतु पृथक से रिकार्ड संधारित किया जाए।
- प्रसव हेतु आनेवाली गर्भवती महिला की सम्पूर्ण जॉच कर एडिमिशन शीट तैयार की जाए।
- निर्धारित प्राटोकॉल के अनुसार पार्टोग्राफ संधारित किया जाए। जिससे फिटल तथा मेटरनल डिस्ट्रेस तथा आब्स्ट्रेट्रिक लेबर का प्रबंधन तथा रेफलर किया जाए।
- इंफेक्शन प्रीवेंशन प्रोटोकॉल का पालन किया जाए जिससे महिला एवं नवजात शिशु में संप्सिस के कारण होने वाले काम्पलीकेशन के प्रकरणों मे कमी लाई जा सके।
- रॅफरल हेतु निर्धारित स्लिप का उपयोग किया जाए एवं उचित फर्स्ट एड जैसे– आई.वी.लाईन, ऑक्सीटोसिन, इंजेक्शन मैगसल्स इंजेक्शन आदि लगाकर भेजा जाए।
- रेफल की जाने वाली संस्था में कॉल सेन्टर के माध्यम से फोन से सूचित किया जाए।
- सुदूर गॉव की जटिल गर्भावस्था वाली महिला को प्रसव की संभावित तिथि के एक सप्ताह पूर्व कियाशील सीमॉक में भर्ती करना जिससे समय परउचित प्रबंधन किया जा सके।
- प्रसूति कक्ष में आवश्यक औषधियॉ , सामग्री ,उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- एम.एन.एच.टूलकिट के आधार पर सभी आवश्यक पंजियों का संधारण करना।
- आक्सीटोसिन ,कारबोप्रोस्ट इंजेक्शन हेतु कोल्ड चैन मेनटेन करने के लिए लेबर रूम के फ्रिज में रखा जाए।
- प्रसव उपरान्त महिला को 1 घंटे तक प्रसूति कक्ष में रखकर प्रसव उपरान्त होने वाली जटिलताओं की पहचान तथा प्रबंधन सुनिश्चित करने के पश्चात् मेटरनिटी वार्ड में शिफ्ट किया जाए।
- प्रत्येक गर्भवती महिला को डिस्चार्ज के समय न्यूनतम 100 गोली आई.एफ.ए. की प्रदान की जाए तथा आवश्यक समझाईश दी जाए। प्रसवोपरान्त उपरोक्त 1, 3, 7 ,42 दिवस पर ए.एन.एम तथा आशा द्वारा गृह भेंट कर प्रसवोत्तर जॉच सुनिश्चित की जाए एवं नवजात शिशु की देखभाल परिवार कल्याण सेवाओं के विषय में जानकारी दी जाए।
- महिला को प्रसवोत्तर नसबंदी/आई.यू.सी.डी. निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
- सामान्तय हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के उपर) आई.एफ.ए. की एक बडी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आई.एफ.ए. की दो बडी गोली के सेवा हेतु सलाह देना।
- आकस्मिकता की स्थिति में ही घर में प्रसाव सुरक्षित तरीके से कराया जाए। घर में होने वाले प्रसव में भी स्टेण्डर्ड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। प्रसव के समय आशा कार्यकर्ता का भी सहयोग लिया जाए।

- गर्भवती महिला का तृतीय अथवा चतुर्थ प्रसवपूर्व जॉच चिकित्सक द्वारा करने की व्यवस्था करना।
- गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं हेतु पृथक से पंजी संधारित कर ट्रेकिंग सुनश्चित करना।
- सामान्य हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के उपर) आई.एफ.ए. की एक बडी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आई.एफ.ए. की दो बडी गोली के सेवन हेतु सलाह देना। गंभीर रक्ताल्पता से पिडित महिलाओं की ब्लड ट्रांसफ्यूजन /इंजेक्शन/आयरन सुक्रोज के माध्यम से प्रबंधन करने हेतु कियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना तथा इस हेतु पृथक से रिकार्ड संधारित किया जाए।
- निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार पार्टोग्राफ संधारित किया जाए। जिससे फीटल तथा मेटरनल डिस्ट्रेस तथा आब्सटेट्रिक लेबर का प्रबधंन तथा रेफलर किया जाए।
- इंफेक्शन प्रीवेंशन प्रोटोकॉल का पालन किया जए जिससे महिला एवं नवजात शिशु से सेप्सिस के कारण होने वाले कॉम्पलीकेशन के प्रकरणों में कमी लाई जा सके।
- रेफलर हेतु निर्धारित स्लिप का उपयोग किया जाए एंव उचित फर्स्ट एड जैसे– आई.बो.लाईन, ऑकसीटोसिन इंजेक्शन, मैगसल्फ इंजेक्शन आदि लगाकर भेजा जाए।
- रेफर की जाने वाली संस्था में कॉल सेंटर के माध्यम से फोन से सूचित किया जाए।
- आवश्यक औषधियॉ, सामग्री ,उपकरण आदि की उपलब्धता सुनश्चित करना।
- एम.एन.एच. टूलकिट के आधार पर सभी आवश्यक पंजियों का संधारण करना।
- न्यूनतम सर्विस गारण्टी के अनुसार सेवाऐं प्रदान करना।
- प्रत्येक गर्भवती महिला को डिस्चार्ज के समय न्यूनतम 100 गोली आई.एफ.ए. की प्रदान की जाए तथा आवश्यक समझाईश दी जाए। प्रसवोपरान्त 1,3,7, 42 दिवस पर ए.एन.एम. तथा आशा द्वारा गृह भेंट कर प्रसवोत्तर जॉच सुनश्चित की जाए एवं नवजात शिशु की देखभाल परिवार कल्याण सेवाओं के विषय में जानकारी दी जाए।
- महिला को प्रसवोत्तर नसबदी/ आई.यू.डी. निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
- सुदूर गॉव की जटिल गर्भावस्था वाली महिला को प्रसव की संभावित तिथि के एक सप्ताह पूर्व कियाशील सीमॉक में भर्ती करना जिससे समय पर उचित प्रबंधन किया जा सके।
- आकस्मिकता की स्थिति में ही घर में प्रसव सुरक्षित तरीके से कराया जाए। घर में होने वाले प्रसव में भी स्टेण्डर्ड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। प्रसव के समय आशा कार्यकर्ता का भी सहयोग लिया जाए।
- डिलेवरी पाईट्स में पदस्थ एएनएम द्वारा एस.बी.ए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, जिससे वह प्रसव के समय होने वाली जटिलताओं का चिन्हांकन तथा प्रबंधन कर सके तथा अनावश्यक होने पर उच्च संस्थ्ज्ञा पर रेफर कर सके।
- प्रसव के समय आवश्यक नवजात शिशु देखभाल सेवाऐं उपलब्ध करायेगें।
- टीकाकरण सारणी अनुसार जन्म के समय (बी.सी.जी., 0डोज पोलियो एवं हेपेटाईटिस) नवजात शिशु को टीकाकरण सुनिश्चित करेगें।
- यदि उप स्वास्थ्य के अधीन 8 से अधिक ग्राम है तो सोमवार/बुधवार/गुरूवार को भी ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के अन्तर्गत प्रावधानित सेवाऐ दी जाए।
- आर.सी.एच. पोर्टल में पंजीयन एवं अद्यतन फार्म में गर्भवती व प्रसव हो चुकी महिलाओं की जानकारी भरकर विकासखण्ड पर प्रेषित करना।

<u>डिलेवरी पाईट्स पर कार्यरत मेटरनिटी में पदस्थ ए.एन.एम.:–</u>

- प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित प्रसव संपादित करना।
- गर्भवती महिला की सम्पूर्ण जॉच (हिमोग्लोबिन, पेशाब, बी.पी.तथा पेट की जॉच) करना तथा आवश्यक प्रविष्टि एन.सी.पी. कार्ड में करना।

- प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन ए.एन.एम. द्वारा प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार को उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में प्रदाय की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को निर्धारित पंजी में दर्ज करना।
- उप स्वास्थ्य केन्द्र में प्रदाय की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी को स्वास्थ्य केन्द्र की संबंधित पंजी में दर्ज करना।
- जिले द्वारा एचएमआईएस रिपोर्ट हेतु निर्धारित तिथि में उसके द्वारा संपादित किये गये कार्यों को निर्धारित उप स्वास्थ्य केन्द्र एचएमआईएस फार्मेट में भरना।
- भरे हुये एचएमआईएस फार्मेट को सेक्टर सुपरवाईजर को सौंपना।
- Quality Assurance के द्वारा जारी की गयी दिशा–निर्देशों का पालन (Standard Operating Prcedure) एवं यह सुनिश्चित करना कि सभी कार्यविधि दिशा–निर्देशों के अंतर्गत की जा रही हो।
- लाभार्थियों की सूची की संपूर्णता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।
- VHND Session के दिन सभी सामग्री की उपलब्धता Check List के अनुसार हो यह सुनिश्चित करना।
- VHND Session के दौरान एवं उसके पश्चात् Bio Medical waste एवं Infection Control में दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करना।
- कार्य समाप्ति के बाद रिर्पोटिंग की संपूर्णता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

डिलेवरी पाईंट्स (लेवल 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र) पर कार्यरत

लेवल 1 उपस्वास्थ्य केन्द्र पर एस.बी.ए. प्रशिक्षित 2 ए.एन.एम. पदस्थ होती है। एक उप स्वास्थ्य केन्द्र में अनुमानतः 8–10 गांव होते हैं। एक ए.एन.एम. (ए) को एक माह में उपस्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव संपादित करने है तथा दूसरी ए.एन.एम. (बी) आउटरीच सर्विसेज प्रदान करेंगी। अगले माह में दूसरी ए.एन.एम. (बी) की ड्यूटी उप स्वास्थ्य केन्द्र पर तथा पहली ए.एन.एम. (ए) आउटरीच सर्विसेज प्रदान करेंगी।

क्र	ग्राम स्वा एवं पोषण दिवस	ग्राम भ्रमण दिवस
1		प्रत्येक सोमवार
2	प्रथम मंगलवार	तृतीय बुधवार
3	प्रथम शुक्रवार	तृतीय गुरूवार
4	द्वितीय मंगलवार	चतुर्थ बुधवार
5	द्वितीय शुक्रवार	चतुर्थ गुरूवार
6	तृतीय मंगलवार	प्रथम बुधवार
7	तृतीय शुक्रवार	प्रथम गुरूवार
8	चतुर्थ मंगलवार	द्वितीय बुधवार
9	चतुर्थ शुक्रवार	द्वितीय गुरूवार

- न्यूनतम 3 प्रसव प्रतिमाह
- प्रोटोकॉल के अनुसार प्रसव संपादित करना।
- गर्भवती महिला की सम्पूर्ण (हिमोग्लोबिन, पेशाब, बी.पी. तथा पेट की अन्य जांच) करना तथा आवश्यक प्रविष्टि एम.सी.पी. कार्ड में करना।
- खतरे के लक्षण जैसे गंभीर खून की कमी, उच्च रक्तचाप, खून आना, उल्टा/ आडा/जुडवा गर्भ आदि पाये जाने पर तुरन्त महिला का उचित उपचार करना तथा सुविधा उपलब्ध ना होने की स्थिति में कियाशील स्वास्थ्य संसी पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।

- गर्भवती महिला का तृतीय अथवा चतुर्थ प्रसवपूर्व जॉच चिकित्सक द्वारा करने की व्यवस्था करना।
- गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं हेतु पृथक से पंजी संधारित कर ट्रेकिंग सुनश्चित करना।
- सामान्य हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के उपर) आई.एफ.ए. की एक बडी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आई.एफ.ए. की दो बडी गोली के सेवन हेतु सलाह देना। गंभीर रक्ताल्पता से पिडित महिलाओं की ब्लड ट्रांसफ्यूजन /इंजेक्शन/आयरन सुकोज के माध्यम से प्रबंधन करने हेतु कियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना तथा इस हेतु पृथक से रिकार्ड संधारित किया जाए।
- निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार पार्टोग्राफ संधारित किया जाए। जिससे फीटल तथा मेटरनल डिस्ट्रेस तथा आब्सटेट्रिक लेबर का प्रबधंन तथा रेफलर किया जाए।
- इंफेक्शन प्रीवेंशन प्रोटोकॉल का पालन किया जए जिससे महिला एवं नवजात शिशु से सेप्सिस के कारण होने वाले कॉम्पलीकेशन के प्रकरणों में कमी लाई जा सके।
- रेफलर हेतु निर्धारित स्लिप का उपयोग किया जाए एंव उचित फर्स्ट एड जैसे– आई.बो.लाईन, ऑकसीटोसिन इंजेक्शन, मैगसल्फ इंजेक्शन आदि लगाकर भेजा जाए।
- रेफर की जाने वाली संस्था में कॉल सेंटर के माध्यम से फोन से सूचित किया जाए।
- आवश्यक औषधियॉ, सामग्री ,उपकरण आदि की उपलब्धता सुनश्चित करना।
- एम.एन.एच. टूलकिट के आधार पर सभी आवश्यक पंजियों का संधारण करना।
- न्यूनतम सर्विस गारण्टी के अनुसार सेवाऐं प्रदान करना।
- प्रत्येक गर्भवती महिला को डिस्चार्ज के समय न्यूनतम 100 गोली आई.एफ.ए. की प्रदान की जाए तथा आवश्यक समझाईश दी जाए। प्रसवोपरान्त 1,3,7, 42 दिवस पर ए.एन.एम. तथा आशा द्वारा गृह भेंट कर प्रसवोत्तर जॉच सुनश्चित की जाए एवं नवजात शिशु की देखभाल परिवार कल्याण सेवाओं के विषय में जानकारी दी जाए।
- महिला को प्रसवोत्तर नसबदी/ आई.यू.डी. निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
- सुदूर गॉव की जटिल गर्भावस्था वाली महिला को प्रसव की संभावित तिथि के एक सप्ताह पूर्व कियाशील सीमॉक में भर्ती करना जिससे समय पर उचित प्रबंधन किया जा सके।
- आकस्मिकता की स्थिति में ही घर में प्रसव सुरक्षित तरीके से कराया जाए। घर में होने वाले प्रसव में भी स्टेण्डर्ड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। प्रसव के समय आशा कार्यकर्ता का भी सहयोग लिया जाए।
- डिलेवरी पाईट्स में पदस्थ एएनएम द्वारा एस.बी.ए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, जिससे वह प्रसव के समय होने वाली जटिलताओं का चिन्हाकंन तथा प्रबंधन कर सके तथा अनावश्यक होने पर उच्च संस्थ्ज्ञा पर रेफर कर सके।
- प्रसव के समय आवश्यक नवजात शिशु देखभाल सेवाऐं उपलब्ध करायेगें।
- टीकाकरण सारणी अनुसार जन्म के समय (बी.सी.जी., 0डोज पोलियो एवं हेपेटाईटिस) नवजात शिशु को टीकाकरण सुनिश्चित करेगें।
- यदि उप स्वास्थ्य के अधीन 8 से अधिक ग्राम है तो सोमवार/बुधवार/गुरूवार को भी ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के अन्तर्गत प्रावधानित सेवाऐ दी जाए।
- आर.सी.एच. पोर्टल में पंजीयन एवं अद्यतन फार्म में गर्भवती व प्रसव हो चुकी महिलाओं की जानकारी भरकर विकासखण्ड पर प्रेषित करना।

<u>डिलेवरी पाईट्स पर कार्यरत मेटरनिटी में पदस्थ ए.एन.एम.:–</u>

- प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित प्रसव संपादित करना।
- गर्भवती महिला की सम्पूर्ण जॉच (हिमोग्लोबिन, पेशाब, बी.पी.तथा पेट की जॉच) करना तथा आवश्यक प्रविष्टि एन.सी.पी. कार्ड में करना।

- न्यूनतम 20 प्रसव प्रतिमाह सी.एच.सी., सीमॉक पर तथा न्यूनतम 10 प्रसव प्रतिमाह सी.एच.सी. एंव पी.एच.सी. बीमॉक पर।
- गर्भवती महिला की तृतीय अथवा चतुर्थ प्रसवपूर्व जॉच चिकित्सक द्वारा करने की व्यवस्था करना।
- गंभीर एनीमिया से पीडित गर्भवती महिलाओं हेतु पृथक से पंजी संधारित कर ट्रेंकिग सुनिश्चित करना।
- न्यूनतम सर्विस गारण्टी के अनुसार सेवाऐं प्रदान करना।
- खतरे के लक्षण जैसे गंभीर खून की कमी, उच्च रक्तचाप,उल्टा/आडा/जुड़वा गर्भ आदि पाये जाने वाले तुरन्त महिला का उचित उपचार करना तथा सुविधा उपलब्धता न होने की स्थिति में पाये जाने पर तुरन्त महिला का उचित उपचार करना तथा सुविधा उपलब्धता ना होने की स्थिति में कियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।
- सामान्य हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के उपर) आई.एफ.ए. की बडी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आई.एफ.ए. की दो बडी गोली के सेवन हेतु सलाह देना। गंभीर रक्ताल्पता से पीड़ित महिलाओं की ब्लड ट्रांसफ्यूजन/इंजेक्शन आयरन सुकोज/ इन्ट्राम्सकूलर आयरन के माध्यम से प्रबंधन करने हेतु कियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना तथा इस हेतु पृथक से रिकार्ड संधारित किया जाए।
- प्रसव हेतु आनेवाली गर्भवती महिला की सम्पूर्ण जॉच कर एडिमिशन शीट तैयार की जाए।
- निर्धारित प्राटोकॉल के अनुसार पार्टोग्राफ संधारित किया जाए। जिससे फिटल तथा मेटरनल डिस्ट्रेस तथा आब्स्ट्रेट्रिक लेबर का प्रबंधन तथा रेफलर किया जाए।
- इंफेक्शन प्रीवेंशन प्रोटोकॉल का पालन किया जाए जिससे महिला एवं नवजात शिशु में संप्सिस के कारण होने वाले काम्पलीकेशन के प्रकरणों मे कमी लाई जा सके।
- रैंफरल हेतु निर्धारित स्लिप का उपयोग किया जाए एवं उचित फर्स्ट एड जैसे– आई.वी.लाईन, ऑक्सीटोसिन, इंजेक्शन मैगसल्स इंजेक्शन आदि लगाकर भेजा जाए।
- रेफल की जाने वाली संस्था में कॉल सेन्टर के माध्यम से फोन से सूचित किया जाए।
- सुदूर गॉव की जटिल गर्भावस्था वाली महिला को प्रसव की संभावित तिथि के एक सप्ताह पूर्व कियाशील सीमॉक में भर्ती करना जिससे समय परउचित प्रबंधन किया जा सके।
- प्रसूति कक्ष में आवश्यक औषधियॉ , सामग्री ,उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- एम.एन.एच.टूलकिट के आधार पर सभी आवश्यक पंजियों का संधारण करना।
- आक्सीटोसिन ,कारबोप्रोस्ट इंजेक्शन हेतु कोल्ड चैन मेनटेन करने के लिए लेबर रूम के फ्रिज में रखा जाए।
- प्रसव उपरान्त महिला को 1 घंटे तक प्रसूति कक्ष में रखकर प्रसव उपरान्त होने वाली जटिलताओं की पहचान तथा प्रबंधन सुनिश्चित करने के पश्चात् मेटरनिटी वार्ड में शिफ्ट किया जाए।
- प्रत्येक गर्भवती महिला को डिस्चार्ज के समय न्यूनतम 100 गोली आई.एफ.ए. की प्रदान की जाए तथा आवश्यक समझाईश दी जाए। प्रसवोपरान्त उपरोक्त 1, 3, 7 ,42 दिवस पर ए.एन.एम तथा आशा द्वारा गृह भेंट कर प्रसवोत्तर जॉच सुनिश्चित की जाए एवं नवजात शिशु की देखभाल परिवार कल्याण सेवाओं के विषय में जानकारी दी जाए।
- महिला को प्रसवोत्तर नसबंदी/आई.यू.सी.डी. निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
- सामान्तय हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के उपर) आई.एफ.ए. की एक बडी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आई.एफ.ए. की दो बडी गोली के सेवा हेतु सलाह देना।
- आकस्मिकता की स्थिति में ही घर में प्रसाव सुरक्षित तरीके से कराया जाए। घर में होने वाले प्रसव में भी स्टेण्डर्ड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। प्रसव के समय आशा कार्यकर्ता का भी सहयोग लिया जाए।

- डिलेवरी पाईट्स में पदस्थ एएनएम द्वारा एसबीए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, जिससे वह प्रसव के समय होने वाली जटिलताओं का चिन्हांकन तथा प्रबंधन कर सके तथा आवश्यक होने पर उच्च संस्था पर रेफर कर सके।
- प्रत्येक गर्भवती महिला को डिस्चार्ज के समय न्यूनतम 100 गोली आई.एफ.ए की प्रदान की जाए तथा आवश्यक समझाईश दी जाए। प्रसवोपरान्त 1,3,7, 42 दिवस पर एएनएम तथा आशा द्वारा गृह भेंट कर प्रसवोत्तर जॉच सुनिश्चित की जाए एवं नवजात शिशु की देखभाल परिवार कल्याण सेवाओं के विषय में जानकारी दी जाए।
- प्रसव के समय आवश्यक नवजात शिशु देखभाल सेवाऐं उपलब्ध करायेगें।

के.एम.सी.वार्ड में पदस्थ एएनएम के दायित्व :–

- के.एम.सी.वार्ड का संचालन ।
- मदर्स वार्ड में भर्ती माताओं एवं शिशुओं की देखभाल।
- फालोअप ओपीडी में सहायता।

आर.बी.एस.के. टीम में पदस्थ एएनएम के दायित्व :–

- महिला उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का पद मैदानी कार्यकर्ता का है। इनका मुख्यालय उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर रहता है। इनके द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों का नियमित रूप से सतत् भ्रमण करते हुये सेक्टर पर कार्यरत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग हेतु नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध कराना तथा निर्धारित समय सारणी अनुसार विभिन्न स्तर पर आयोजित बैठकों में उपस्थित होकर जानकारी उपलब्ध कराना होता है।
- **स्क्रीनिंगः–** स्क्रीनिंग किये गये कुल बच्चों की संख्या प्रतिदिन 100 प्रति मोबाईल हेल्थ टीम। (2200/माह प्रति दल) वार्षिक (26400 प्रति दल) सुनिश्चित करना।
- **दस्तावेजीकरणः–** (प्रति दिन दवा वितरण, मांग पत्र एवं प्रदाय दवाओं का लेखा–जोखा संधारण एवं रिपोर्टिंग) माइक्रोप्लानिंग, रजिस्टर प्रारूप, जांच साधन सह रेफरल कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्क्रीनिंग में 10 प्रतिशत धनात्मक पाये गये बच्चों की संख्या। (220/प्रतिमाह) वार्षिक (2640 प्रति दल) के साथ–साथ स्वयं के द्वारा या विकासखण्ड स्तर पर उपचारित कराये गये बच्चों की संख्या (180/प्रति माह प्रति दल) वार्षिक (2160 प्रति दल) सुनिश्चित करना।
- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा जिला स्तर पर उपचारित कराये/रिफर किये गये बच्चों की संख्या (10 प्रति माह), वार्षिक न्यूनतम 120 बच्चे प्रति दल के साथ–साथ जिले से बाहर उपचार हेतु रिफर किये गये बच्चों की संख्या। (03 प्रति माह प्रति दल) वार्षिक न्यूनतम 36 प्रति दल सुनिश्चित करना।
- मोबाइल हेल्थ टीम (ए.एन.एम.) द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच (40 प्रति माह प्रति दल) वार्षिक न्यूनतम 480 प्रति दल के साथ–साथ एनआरसी में भर्ती हेतु भेजे गये बच्चों की संख्या।(05 प्रति माह प्रति दल) वार्षिक न्यूनतम 60 प्रति दल सुनिश्चित करना।

परिशिष्ट–2

राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समितियों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु संशोधित यात्रा भत्ता नियम

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन–मंत्रालय–भोपाल के परिपत्र कमांक 4–2/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5/11/2016 द्वारा राज्य शासन के अधिकारीयों/कर्मचारियों के यात्रा भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है। इसके अनुक्रम में एन.एच.एम. के अन्तर्गत संविदा सलाहकारों/अन्य संविदा कर्मियों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाकर यात्रा भत्तों की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1/ वर्गीकरण:–

श्रेणी	संविदा मानदेय
(1)	(2)
ए	60,000 या उससे अधिक
बी	50,000 या उससे अधिक
सी	30,000 या उससे अधिक
डी	30,000 से कम

2/ दैनिक भत्ता:– यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार देय दैनिक भत्ता ;पूरक नियम 30) मुख्यालय भत्ता ;पूरक नियम 25 की टिप्पणीद्धए विशेष विराम भत्ता ;पूरक नियम 55–ए अनुसार) को समेकित किया गया है। समेकित दैनिक भत्ते की दर पुनरीक्षित कर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

श्रेणी	साधारण दर	प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों ;कालम 4 में दर्शाये स्थानों को छोड़करद्ध के लिये विशेष दर	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, एवं पुणे के लिये दर
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	250	375	500
बी	200	300	400
सी	150	225	300
डी	125	185	250

स्थानीय परिवहन हेतु ऑनलाईन पेड टैक्सी/प्रीपेड टैक्सी बूथ के देयक प्रस्तुत करने पर उपरोक्तापुसार प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

3/ यात्रा के साधन:–

श्रेणी	हवाई यात्रा	रेलगाड़ी से यात्रा	बस से यात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	इकनॉमी श्रेणी	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
बी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
सी	नही	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एक्जीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
डी	नही	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एक्जीक्यूटिव श्रेणी एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी

राज्य के भीतर प्रमुख नगरों के लिये सस्ती वायुसेवा के प्रोत्साहन हेतु जारी वित्त विभाग के निर्देश क्र–एफ 4–5/2011/नियम/चार, दिनांक 27.08.2011 के अनुसार ऐसे अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन 6600/– ग्रेड–बी या अधिक है, ऐसी सस्ती वायुसेवा (राज्य के भीतर) के पात्र होगे माननीय मंत्रीगणों को हवाई जहाज की एक्जिक्यूटिव क्लास/बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा की पात्रता होगी।

4/ **ठहरने की पात्रता :– शासकीय यात्रा के दौरान निम्नानुसार दरों पर ठहरने की सुविधा होगी।**

श्रेणी	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, एवं पुणे	प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों ,कालम 2 में दर्शाये स्थानों को छोड़कर के स्थानों में होटल में ठहरने पर	प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों में होटल में ठहरने पर	प्रदेश के बाहर/महानगर में मित्र/रिश्तेदार के यहां ठहरने पर	म.प्र. पर्यटन विकास निगम के होटल/मोटल के लिये पात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ए	5000	3750	2500	500	ए.सी. डिलक्स कक्ष/ए.सी. कक्ष
बी	3750	2800	1875	450	ए.सी. कक्ष
सी	2500	1875	1250	375	–
डी	1250	925	625	300	–

टीप– उक्त तालिका के कालम–6 अनुसार शासकीय प्रवास पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों मे उरोक दरों पर केवल एक कक्ष उपलब्ध रहेगा। श्रेणी 'सी' एवं 'डी' के शासकीय सेवक के शासकीय प्रवास पर ए.सी. कक्ष में ठहरने पर उन्हें उनकी निर्धारित श्रेणी अनुसार ही प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी एवं अन्तर की राशि शासकीय सेवक के द्वारा ही वहन की जायेगी।

5/ **प्रदेश के बाहर की यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यय :–**

राज्य के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चैन्नई, बैगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे में शासकीय कार्य से स्थानीय यात्राओं हेतु पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

श्रेणी	संविदा शुल्क अनुसार श्रेणी	स्थानीय परिवहन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि ;रूपये में)	परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने पर देय राशि ;रूपये मेंद्ध
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ए	1500	325
2	बी	1000	250
3	सी	625	185
4	डी	375	125

6/ राज्य स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत राज्य शासन से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र कमांक 4–2/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 5/11/2016 द्वारा निर्धारित ग्रेड वेतन अनुसार निर्धारित श्रेणियों के अनुकम में यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

7/ शासकीय कार्य की आवश्यकता के अनुसार हवाई यात्रा मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम. की स्वीकृति से की जा सकेगी। प्रदेश के बाहर अथवा प्रदेश के अन्दर हवाई यात्रा हेतु मिशन संचालक, की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

Syllabus-ANM

No. of Question-100

1. Primary Health Care & National Health Programme	20
2. Mother & Child Healthcare	40
3. Health Information & Education & Communication	20
4. Basic Medical Care	20